सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 835 राँची, शुक्रवार

6 अग्रहायण, 1937 (श०)

27 नवम्बर, 2015 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

संकल्प

26 नवम्बर, 2015

विषयः- **GRDA** के अंतर्गत विभिन्न विभागो/संस्थाओं/कार्यालयों आदि के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संख्या-**4/**स.भू. (**GRDA**)-**42/15-5288/**रा०--झारखण्ड की राजधानी राँची को सुनियोजित ढंग से स्तरीय शहर के रूप में विकसित किये जाने की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न विभागो/संस्थाओं/कार्यालयों को मुख्यालय**,** राँची में लाने के लिए भूमि को व्यवस्थित ढंग से आवंटित किया जाना आवश्यक था। इसी के मद्देनजर राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-**1479,** दिनांक **10** अप्रैल**,** 20**15** के द्वारा भूमि के चिन्हितीकरण एवं आवंटन हेतु कमिटि गठित की गई। गठित कमिटि के अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4367,** दिनांक **11** सितम्बर**, 15** द्वारा भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को **HEC** क्षेत्र में भूमि की सशुल्क एवं निःशुल्क हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	चिन्हित स्थल	वर्तमान मे प्रस्तावित रकबा (एकड़ मे)	सशुल्क/निशुल्क
1	रिजर्व बैंक औफ़ इण्डिया	HEC	4.39	7,10,75,053.00 रू0
2	नाबार्ड	HEC	2.34	3,78,85,085.00 रू0
3	डी0वी0सी0	HEC	2.75	4,45,23,125.00 रू0
4	सी0पी0डब्लू0डी0	HEC	3.22	5,21,32,505.00 रू0
5	जनगणना कार्य निदेशालय	HEC	1.17	1,89,42,530.00 रू0
6	जी0एस0आई0 की स्थापना	HEC	2.00	3,23,80,425.00 रू0
7	आई0बी0एम0 की स्थापना	HEC	2.00	3,23,80,425.00 रू0
8	पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय	HEC	1.09	1,76,47,360.00 रू0
9	केन्द्रीय औषधि जाँच प्रयोगशाला	HEC	1.04	1,68,37,810.00 रू0
10	सैनिक कल्याण बोर्ड	HEC	0.99	निःशुल्क
11	सी0बी0आई0 कार्यालय भवन	HEC	2.02	निःशुल्क
12	पासपोर्ट कार्यालय भवन	HEC	2.01	निःशुल्क
13	आई0आई0एम0 राँची।	HEC	60.04	निःशुल्क
14	JSAC	HEC	2.22	निःशुल्क
15	HUDCO	HEC	0.73	1,18,18,870.00 रू0
		कुल	88.01 एकड़	

3. विभागीय संकल्प संख्या-**5162,** दिनांक **12** नवंबर**,** 20**15** द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर **GRDA** के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों आदि के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

4. उपरोक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **24** नवम्बर**, 2015** में मद संख्या-**08** के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**
रेमण्ड केरकेट्टा,
सरकार के अपर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 835--50 ।